प्रतिरोध की पहली कतार: लोकतंत्र में छात्र-आंदोलनों की भूमिका

समाचार-संदर्भ: हालिया छात्र-प्रदर्शनों के बीच एन. साई बालाजी का 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित विश्लेषण
प्रकाशन: 10 नवंबर 2026
प्रिलिम्स: राज्यव्यवस्था - अनुच्छेद 19, मौलिक अधिकार, प्रमुख छात्र/जन आंदोलन
मुख्य परीक्षा: GS-I (आधुनिक इतिहास - जन आंदोलन); GS-II (संविधान, असहमति का अधिकार, नागरिक समाज)



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे छात्र-प्रदर्शनों के संदर्भ में एन. साई बालाजी ने 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित अपने विश्लेषण में यह दलील रखी कि लोकतंत्र को खतरा सबसे पहले छात्र ही पहचानते और उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। चर्चा तब और तेज हुई जब हाल में एक छात्र-नेता ने 'शांति-बॉन्ड' पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया - जिसे असहमति से सविनय अवज्ञा तक की कड़ी के रूप में देखा गया। सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है: लोकतंत्र में छात्र-आंदोलनों की संवैधानिक जगह क्या है, और अनुच्छेद 19 के अधिकारों की सीमा कहाँ खींची गई है?

ऐतिहासिक उदाहरण की सीमा

मूल राय-लेख FTII की 2015 की नियुक्ति-विरोधी हड़ताल का उदाहरण देता है। छात्रों के लोकतांत्रिक योगदान का मूल्यांकन उपयोगी है, लेकिन हर आंदोलन का उद्देश्य और सामाजिक आधार समान नहीं होता। किसी लेखक की 'छात्र पहले पहचानते हैं' वाली दलील को सार्वभौमिक ऐतिहासिक नियम न मानें।

संवैधानिक आधार और सीमा

अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19(1)(b) शांतिपूर्ण, निरस्त्र सम्मेलन का अधिकार देता है; शांतिपूर्ण प्रदर्शन इन्हीं का व्यावहारिक रूप है।

सीमा: सम्मेलन के अधिकार (19(1)(b)) पर अनुच्छेद 19(3) के अधीन केवल भारत की समप्रभुता-अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर ही 'उचित प्रतिबंध' लग सकते हैं; अभिव्यक्ति के अधिकार (19(1)(a)) पर 19(2) के अधीन समप्रभुता-अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध हेतु उकसावे जैसे आधारों पर प्रतिबंध संभव हैं - प्रतिबंधों का संवैधानिक औचित्य जाँचना जरूरी है।

छात्र-भागीदारी क्यों महत्त्वपूर्ण है

विचार-मंच: विश्वविद्यालय बहस, संगठन और सामूहिक कार्रवाई की प्राकृतिक जगहें हैं।

हित-सीमा: छात्रों का आज का करियर और कल की नीतियों से सीधा जुड़ाव है - शुल्क, छात्रावास, नियुक्तियाँ, परीक्षा-पद्धति।

सामाजिक भूमिका: परिसर नए विचारों और सार्वजनिक प्रश्नों पर चर्चा के मंच बन सकते हैं।

संतुलन का प्रश्न

छात्र-राजनीति की अपनी चुनौतियाँ भी हैं - दलों का प्रत्यक्ष प्रभाव, हिंसा में ढलने का जोखिम, और निवारक कार्रवाइयों (जैसे निषेधाज्ञाएँ) का बढ़ता उपयोग, जिन पर न्यायालय नज़र रखे हुए हैं। अधिकार की रक्षा और अराजकता की रोक, दोनों एक ही कसौटी के दो पहलू हैं।

आगे की राह

तीन दिशाएँ ठोस राहत दे सकती हैं: परिसरों में संवाद की संस्थागत व्यवस्था ताकि शिकायतें प्रदर्शन तक पहुँचने से पहले सुनी जाएँ; प्रतिबंध-आदेशों की समय-सीमा और न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित हो; और छात्र-नागरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए, ताकि असहमति सूचित और जिम्मेदार हो। लोकतंत्र की सेहत का पहला थर्मामीटर उसके परिसर होते हैं।

इससे जुड़ा लेख: विरोध का अधिकार: अनुच्छेद 19 और सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: अनुच्छेद 19(1)(b) के अधीन सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरस्त्र सम्मेलन का अधिकार है।
कथन II: अनुच्छेद 19 के अधिकार विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I, न ही II

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) केवल I

कथन I सही है: अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण, निरस्त्र रूप से एकत्र होने का अधिकार केवल नागरिकों को देता है, और 19(3) में उचित प्रतिबंधों का प्रावधान है। कथन II गलत है: अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को हैं; विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 14 और 21 जैसे अधिकार उपलब्ध हैं, 19 के नहीं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"छात्र-आंदोलन लोकतंत्र की प्रतिरोध-क्षमता की पहली कसौटी हैं।" भारत के ऐतिहासिक अनुभव और संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में इस कथन की समीक्षा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: लोकतंत्र में असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सहज विस्तार है; छात्र-आंदोलन इसका एक महत्त्वपूर्ण माध्यम रहे हैं; उनकी भूमिका को संदर्भ के अनुसार परखना चाहिए।

मुख्य भाग में:

संदर्भ: मूल राय-लेख में FTII का उदाहरण; हर आंदोलन की परिस्थिति अलग, सभी को समान राजनीतिक नियम न मानें।

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b); 19(2)/(3) के उचित प्रतिबंध।

परीक्षण-बिंदु: प्रतिबंधों का औचित्य, निवारक कार्रवाइयों की सीमा, और हिंसा बनाम शांतिपूर्ण असहमति की रेखा।

दूसरा पहलू: दलीय प्रभाव और हिंसा का जोखिम छात्र-राजनीति की विश्वसनीयता घटाता है; आंदोलन की ताकत उसके शांतिपूर्ण और सूचित स्वरूप में है।

निष्कर्ष में: छात्र-आंदोलन लोकतंत्र की लचक का संकेतक हैं; अधिकार की रक्षा और व्यवस्था का सम्मान - दोनों का संतुलन ही प्रतिरोध को रचनात्मक बनाता है।

स्रोत

1. The Hindu - एन. साई बालाजी का विश्लेषण: How students are the first line of resistance (10 नवंबर 2026)
2. The Hindu (अभिलेख) - After 139 days, FTII strike grinds to a halt (FTII हड़ताल 2015 का सत्यापन)
3. अनुच्छेद 19 का विधिक पाठ